<u>दिनांक 11 सितम्बर 2020 को सुबह 11:00 बजे बरद सदन के सम्मेलन कक्ष, शैक्षणिक खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 35वीं बैठक का कार्यवृत</u>

दिनांक 11 सितम्बर 2020 को सुबह 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, बरद सदन में आयोजित 35वीं कार्यकारिणी परिषद की बैठक का कार्यवृत। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	श्री जी.पी. उपाध्याय अतरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार	-	सदस्य
3.	श्री ताशी डेंसापा निदेशक, नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान, गंगटोक	-	सदस्य
4.	प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानीपूल, पूर्वी सिक्किम	-	सदस्य
5.	प्रो. अभिजीत दत्ता डीन, व्यवसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
6.	प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
7.	डॉ. के.आर. रामा मोहन, डीन, मानव विज्ञान विभाग	-	सदस्य
8.	डॉ. कबिता लामा डीन, भाषा और साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
9.	डॉ. लक्ष्मण शर्मा डीन छात्रकल्याण	-	सदस्य
10.	प्रो. एस.एस. महापात्रा प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
11.	डॉ. सोहेल फिरदोस सह प्रोफेसर, भूगोल विभाग	-	सदस्य
12.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग अध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	-	विशेष आमंत्रित

13. श्री देबाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
    वित्त अधिकारी

14. श्री टी के कौल - सचिव
    कुलसचिव

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में ऑनलाइनभाग लिया:

1. प्रो. गुरमीत सिंह, कुलपति, पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय
2. प्रो. गंगा प्रसाद प्रसाइन, कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय
3. प्रो. इंदर मोहन कपाही, प्रोफेसर और सलाहकार, मौलिक और प्रयोगिक विज्ञान विद्यापीठ, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय,सोलन हिमाचल प्रदेश
4. प्रो. कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, भौतिकी विभाग, आईआईटी खड़गपुर
5. प्रो. रमेश कुमार यादव, अध्यक्ष, हरियाणा किसान और हरियाणा किसान और कृषि लागत और मूल्य आयोग, हरियाणा

प्रो. विद्युत चक्रवर्ती, प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, प्रो. आद्य प्रसाद पांडेय पूर्व व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

श्रीमति कल्पना राणा, अनुभाग अधिकारी (स्थापना) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे। श्री अनिल खाती, वरिष्ठ तकनीकी सहायक बैठक के दौरान तकनीकी सहायक प्रदान करने के लिए उपस्थित थे।

कुलपति ने बैठक के प्रारम्भ में परिषद के सभी सदस्यों का 35 वीं बैठक में स्वागत किया।उन्होनेविशेष रूप से बैठक में पहली बार भाग ले रहे प्रो. एस.एस.महापात्रा, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग और डॉ. सोहेल फिरदोस, सह प्राध्यापक, भूगोल विभाग का स्वागत किया।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी:

खंड-1
कार्यवृत की संपुष्टि एवं कारवाई रिपोर्ट

ईसी 35.1.1: ***दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि***

दिनांक 09 दिसम्बर 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत सभी सदस्यों को दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को वितरित किया गया था। परिषद के किसी सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत 31 जुलाई 2019 को वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की जाती है।

ईसी 35.1.2: ***दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत पर की गई कारवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवृत पर ली गयी कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कारवाई का उल्लेख किया।

खंड - 2

सूचनात्मक विषय

ईसी 32.2.1: ***प्रो. जेता सांकृत्यायन, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग की सेवानिवृत्ति***

परिषद ने दिनांक 31 जनवरी 2020 (पूर्वाहन) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रो. जेटा सांकृत्यायन, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग की सेवानिवृत्ति को नोट किया।

खंड-3

अनुसमर्थन विषय

ईसी 35.3.1: शैक्षणिक सदस्य के अनुबंध अवधि को विस्तार

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित संकाय सदस्यों का अनुबंध प्रत्येक के सामने अंकित तिथियों पर समाप्त हो गया है।

क्रं. सं.	नाम	पद	विभाग	अनुबंध तक
1.	प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद	प्रोफेसर	विधि	31.08.2020
2.	प्रो. संजोय बंदोपाध्याय	प्रोफेसर	संगीत	13.04.2020
3.	प्रो.विनोद चन्द्रतिवारी	प्रोफेसर	भूगोल	31.07.2020
4.	श्री भाईचुंग छिरिंग भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया	31.07.2020
5.	डॉ. हिस्सेवांगचुकभूटिया	सहायक प्राध्यापक		31.07.2020
6.	श्री बाल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बू	31.07.2020
7.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा	31.07.2020
8.	सुश्री दुक्मितलेप्चा	सहायक प्राध्यापक		31.07.2020
9.	डॉ. आर.एस.एस.नेहरू	सहायक प्राध्यापक	शिक्षा	30.06.2020

देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण, उनके मामलों को विस्तार के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए संसाधित नहीं किया जा सका। कुलपति ने उपरोक्त सभी मामलों में उनकी संविदा नियुक्ति को दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक अवधि विस्तार दिया है।

कार्यकारिणी परिषद ने उपरोक्त संकाय सदस्यों की संविदा नियुक्ति को दिनांक31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने के कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.2: डॉ. एस मनीवन्न, सह प्राध्यापक का कार्यमुक्त

परिषद ने उल्लेख किया कि डॉ. एस. मणिवन्नन, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग को दिनांक 27.12.2019 (पूर्वहन) से 3 महीने की अवधि के लिए तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में शामिल होने के लिए लिएन प्रदान किया गया था। लिएन की समाप्ति के बाद डॉ. एस. मणिवन्नन को दिनांक 26.03.2020 (अपराह्न) से सिक्किम विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया और उनके पद को रिक्त चिह्नित किया गया है।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति द्वारा दिनांक27.12.2019 (अपराह्न) से 3 महीने की अवधि के लिए दी गई लिएन और दिनांक 26.03.2020 (अपराह्न**)** से लिएन की समाप्ति के बाद स्थायी रूप से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.3: श्रीमती तेनजिंग चुन्नी भूटियाका इस्तीफा

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति द्वारा श्रीमती तेनजिंग चुन्नी भूटिया,यूडीसीकेइस्तीफे को स्वीकार करने औरदिनांक 14.01.2020 (अपराह्न)से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी35.3.4: गैर-शिक्षण कर्मचारी का पदोन्नति

परिषद ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम (गैर-शिक्षण) 2019 के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियोंके पदोन्नति को नोट किया:

क्रं. सं.	नाम	पदोन्नति पूर्व पद ---------- वर्तमान पद	पदोन्नति की तारीख
1	श्रीमति क्रिस्टीना राई	यूडीसी से सहायक	14.01.2020(पूर्वाहन)
2	श्रीमति दक्षता लवर	यूडीसी से सहायक	02.03.2020 (पूर्वाहन)
3	श्री बसंत बराइली	एलडीसी से यूडीसी	26.02.2020 (पूर्वाहन)
4	श्री सुदीपगुरुंग	एलडीसी से यूडीसी	06.03.2020 (पूर्वाहन)
5	श्रीमति डोमा तामांग	एलडीसी से यूडीसी	26.06. 2020 (पूर्वाहन)
6	श्री बिक्रमथापा	प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला सहायक	13.01.2020 (पूर्वाहन)
7	श्री केशव कुमार बिसनुके सर्की	प्रयोगशाला परिचारक से प्रयोगशाला सहायक	23.01.2020 (पूर्वाहन)

परिषद ने आगे नोट किया कि निम्नलिखित गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से निर्धारित पात्रता मानदंड एवं पदोन्नति परीक्षा को पूरा करने के बादविभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर पदोन्नतिप्रदान किया गया है।

क्रं. सं.	नाम	पदोन्नति पूर्व पद ----------वर्तमान पद	नियुक्ति की तिथि
1	श्रीमति रेशुप्रधान	यूडीसी से सहायक	24.06.2020 (अपराह्न)
2	श्रीमति रागणी राई	प्रयोगशाला परिचारक से एलडीसी	26.06.2020 (पूर्वाहन)

परिषद ने कुलपतिद्वारा उपरोक्त गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीख (तारीखों) से पदोन्नतिकी कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.5:प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद की सेवानिवृत्ति और विधि विभाग में अनुबंध पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति

परिषद ने दिनांक 29 फरवरी 2020को प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद, विधि विभाग की सेवानिवृत को नोट किया।परिषद ने आगे नोट किया कि प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद कोविधि विभाग में रु 1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार केवल) मासिक समेकित वेतन पर प्रोफेसर के पद पर संविदा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और तदनुसार उन्हें दिनांक 1 मार्च 2020 **(**अपराह्न**)** से अनुबंध पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्यकारिणी परिषद नेकुलपति द्वाराप्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद को विधि विभाग में प्रोफेसर (अनुबंध पर) के रूप दिनांक 01.03.2020 से छह महीन के लिए रु 1,25,000 समेकित वेतन पर नियुक्त करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.6: लिएन पर संकाय सदस्य को कार्यमुक्त करना

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि कुलपति ने निम्नलिखित संकाय सदस्यों को तीन (3) महीने की अवधि के लिए लिएन प्रदान किया है।

क. डॉ. क्षेत्रमयुम बिरला सिंह, प्राणी विज्ञान विभाग को दिनांक 06.03.2020 से मणिपुर विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में शामिल होने के लिए लिएन दिया गया।

ख. डॉ. थौडम रोशन सिंह, सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग को दिनांक 06.03.2020 से मणिपुर विश्वविद्यालय मेंसहायक प्राध्यापकके रूप में शामिल होने के लिए लिएन दिया गया।

ग. डॉ. नम्रता, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञानविभाग कोदिनांक 06.03.2020 सेमौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल में शामिल होने के लिए लिएन दिया गया।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति द्वारा उपरोक्त संकाय सदस्यों को दिनांक 06.03.2020 से प्रत्येक के विरुद्ध उल्लिखित संस्थान में शामिल होने हेतु 3 महीने की अवधि के लिए लिएन प्रदान करने में की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.7:श्री विजय वी. सहायक प्राध्यापक को कार्यमुक्त करना

परिषद ने श्री विजय वी., सहायक प्राध्यापक,विधिसंकायकोदिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में शामिल होने के लिए दिनांक 16.04.2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30 वीं बैठकके अनुमोदन से दिनांक 23.02.2018 सेअगलेएक (1) वर्ष की अवधि के लिए लिएन परकार्यमुक्तकिया था।दिनांक 23.06.2019 को आयोजित कार्यकारी परिषद के स्वीकृति से श्री विजय वी.के लिएन को 6 माह की अवधि (यानि दिनांक 28.08.2019) तक के लिए बढ़ा दिया गया था। श्री विजय वी.की लिएन के समाप्ति पर उन्हें सिक्किम विश्वविद्यालय से दिनांक 23.08.2019(अपराह्न)से स्थायी रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया और उनके पद को रिक्त के रूप में चिह्नित किया गयाहै।

परिषद ने दिनांक 23.08.2019 (अपराह्न)कोश्री विजॉय वी. के लीएन की समाप्ति पर सिक्किम विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से कार्यमुक्त करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.8: श्रीमति शाश्वत साहा के अध्ययन अवकाश का विस्तार

परिषद ने दिनांक 01.12.2017 को आयोजित अपनी 29वीं बैठक में श्रीमती शाश्वत साहाको दिनांक 01.02.2018 से 31.01.2020 तक दो वर्षों के लिए प्रदान की गईअध्ययन अवकाश को नोट किया।श्रीमतीशाश्वत साहाने दिनांक 01.02.2020 से 30.06.2020 तक पांच महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश विस्तार के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया,जिसे कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया। उन्होनें फिर से दिनांक 03.09.2020 तक अध्ययन अवकाश विस्तार के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन जमा किया, जिसमें उन्होंने देश भर में लॉकडाउन के कारण, पूर्व-सबमिशन सेमिनार और थीसिस जमा नहीं होने की बात बताई। कुलपति द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनके दिनांक 03.09.2020 तक अध्ययन अवकाश को मंजूरी दी गई।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति द्वारा श्रीमतीशाश्वत साहा को दिनांक 01.02.2020 से 03.09.2020 तक अध्ययन अवकाश विस्तार की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.9:वित्त समिति के लिए कार्यकारी परिषद के सदस्य का नामांकन

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम 17(1) (iv)के अंतर्गतवित्त समिति में कार्यकारिणी परिषद के तीन सदस्यों को नामित किया जाना है, जिनमें से एक कम से कम कार्यकारिणी परिषद का सदस्य होना चाहिए।परिषद ने यह भी नोट किया कि प्रो. नवल किशोर पासवान को कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में वित्त समिति में नामित किया गया था। प्रो. पासवान की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता दिनांक 22.02.2020 को समाप्त हो गई है औरइसलिए, अब वे वित्त समिति के सदस्य नहीं रहे सकते है।वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.09.2020 को होने वाली थी। इसलिए, कुलपति द्वाराप्रो. एस.एस. महापात्रा,सदस्य,कार्यकारिणी परिषद को प्रो. नवल किशोर पासवान के स्थान पर वित्त समिति में मनोनीत किया गया था।

परिषद ने कुलपति द्वाराप्रो. एस.एस.महापात्रा, सदस्य,कार्यकारिणी परिषद को संविधि 17(1)(iv) के अंतर्गत वित्त समिति के लिए नामित करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी35.3.10:प्रवेश सत्र 2019-20 के लिए शुल्क संरचना समिति की रिपोर्ट

परिषद ने दिनांक 9 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी 32 वीं बैठक में प्रो. अभिजीत दत्ता की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी-3 में प्रदान की गई शुल्क संरचना को देखने और प्रयगोशाला आधारित एवं गैर प्रयोगशाला-आधारित, व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों की शुल्क संरचना को सुव्यवस्थित करनाके लिए एक समिति का गठन किया था।
दिनांक 12 अप्रैल 2019 को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रियाशुरू की गई थी, विश्वविद्यालय ने समिति की सिफारिशों को लागू किया और विवरणिका 2019-20 में प्रस्तावित शुल्क संरचना को शामिल किया गया।हालांकि, सुसा ने कुछ पाठ्यक्रमों के शुल्क में भारी वृद्धि की बात कही और विश्वविद्यालय को नए शुल्क □ांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद कुलपति ने सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद कुछ वर्षों की अवधि में हुई शुल्क वृद्धि को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रो. ज्योति प्रकाश तमांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

प्रो. तामांग की समिति ने पाया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की श्रेणी में आने वाले विभाग शुल्क वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले विभाग हैं।यह देखा गया कि पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से कुछ विभागों को फिर से प्रयोगशाला-आधारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी फीस अधिक वृद्धि हुई है। समिति ने पाया कि शुल्क में बढ़ोतरी के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रयोगशाला-आधारित पाठ्यक्रमों के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं होगा। इस सिद्धांत के आधार पर, समिति ने कंप्यूटर अनुप्रयोग, शिक्षा (एम.एड), उद्यानिकी, विधि, प्रबंधन और पर्यटन जैसे विभागों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क में संशोधन की सिफारिश निम्नानुसार की है:

क्रं. सं.	**शुल्क मद**	**वर्तमान शुल्क**	**प्रस्तावित शुल्क**
1	प्रवेश	1120	560
2	अंकतालिका	224	224
3	प्रमाणपत्र	336	336
4	परीक्षा	2240	1120
5	पुस्तकालय	560	560
6	चिकित्सा बीमा	336	336
7	छात्र परिषद	224	224
8	पहचान पत्र	112	112
9	पूर्व छात्र	100	100

10	शैक्षिणक शुल्क प्रति सेमेस्टर	8960	6720
	कुल शुल्क	**14436**	**10516**

कुलपति ने उपरोक्त विभागों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रो. तामांग की समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी और इसे सम सेमेस्टर 2020 से लागू किया गया था। जुलाई-दिसंबर 2019 के विषम सेमेस्टर के दौरान ली गई अतरिक्त शुल्क वापस की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने उपरोक्त विभागों केस्नातकोत्तरपाठ्यक्रमों कीशुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.11:वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी),विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

सिक्किम विश्वविद्यालय ने जीएफआर 229 (xi) केशर्तो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धनराशिजारी करने हेतु यूजीसी और एमएचआरडी के साथ समझौता ज्ञापन में शामिलहुए। एमओयू मानकों के विरुद्ध हर छह महीने पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन को यूजीसी को भेजा जाएगा।

परिषद ने कुलपतिद्वारा वर्ष 2020-21 के लिए एमएचआरडी, यूजीसी और विश्वविद्यालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.12:सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध चार निजी महाविद्यालय के शासी निकाय

विश्वविद्यालय की अधिनियम 31(1)(i) में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक संस्थान को कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और शिक्षण कर्मचारी के तीन प्रतिनिधि के साथ महाविद्यालय या संस्थान के एक प्राचार्य सहितकार्यकरिणी परिषद द्वारा अनुमोदित 15 से कम सदस्यवाली नियमित रूप से गठित शासी निकाय होनी अनिवार्य है। परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध चार निजी महाविद्यालय हैं और चारों महाविद्यालयों को शासी निकाय है, जिसे परिषद को प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारिणी परिषद ने सूचना को नोट किया और निजी महाविद्यालय के शासी निकायों कोतीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी।

ईसी35.3.13:सम समेस्टर 2020 (जनवरी से जून) के लिए छात्रावास सीट किराया में छूट

परिषद को सूचित किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (एसएमयूएसए) द्वारा सम और विषम सेमेस्टर 2020 के छात्रों के लिए छात्रावास किराए में छूट का अनुरोध किया गया है। यह केवल कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन के दौरान छात्रावासों में निवास कर रहेछात्रों के लिए अनुरोध किया गया था। कुलपति द्वारा अनुरोध पर विचार करते हुए एक बार के उपाय के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तरछात्रों

के लिए सम सेमेस्टर 2020 (जनवरी से जून 2020) के लिए छात्रावास शुल्क में छूट प्रदान किया गया।जबकि विषम सेमेस्टर 2020 के लिए निर्णय टाल दिया गया।

कार्यकरिणी परिषद ने कुलपति द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तरछात्रों के लिए सम सेमेस्टर 2020 (जनवरी से जून 2020) के लिए छात्रावास सीट शुल्क में छूट प्रदान करने की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 35.3.14:श्री सुनील कुमार प्रसाद, प्रयोगशाला परिचारक, रसायनिकी विभाग के विरुद्ध आरोप

परिषद को सूचित किया गया कि श्री सुनील कुमार प्रसाद, प्रयोगशाला परिचारक, रसायन विज्ञान विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद विभाग द्वारा सौंपे गए कार्य को नहीं कर रहे थे।उन्हें एनएमआर मशीन में नियमित रूप से लिक्विड नाइट्रोजन की रिफिलिंग और प्रायोगिक कक्षाओं के दौरान प्रशिक्षक की मदद करने का काम सौंपा गया था।उन्होनें अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाया और रिफिलिंग की समय सीमा को भूल गए,जिसके परिमाणस्वरूप एनएमआर मशीन संभावित स्थायी क्षति के स्तर तक पहुँच गया।उन्हें उनके प्रदर्शन में सुधार करने की सलाह दी गई। लेकिन सुझाव, फटकार और चेतावनी के बाद भी उसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें दिनांक 2 अगस्त 2019 को ज्ञापन जारी किया गया था।उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और उन्होंने अपने काम में कोई सुधार नहीं दिखाया।जिसके बाद,उन्हें दिनांक 4 मार्च 2020 को मुख्यालय गंगटोक के साथ निलंबित कर दिया गया था।अपने निलंबन के दौरान वेबिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर बेन थालाबारी रावंगला,दक्षिण सिक्किम चल गए।

श्री सुनील कुमार प्रसाद को सीसीएस (सीसीए) 1965 के नियम 14 के तहत चार्जशीट जारी किया गया था, जैसा कि विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 28 अप्रैल 2020 के ज्ञापन के तहत अपनाया गया है।

परिषद को यह भी बताया गया कि एक समीक्षा समिति द्वारा श्री सुनील कुमार प्रसाद के निलंबन की समीक्षा की गई थी, समिति कीदिनांक 19 मई 2020 की आयोजित बैठक में निलंबन को जारी रखने और निर्वाह भत्ते को 25% कम करने की सिफारिश की थी।परिषद को यह भी सूचित किया गया कि श्री सुनील कुमार प्रसाद ने आरोपों से इनकार करते हुए आरोप पत्र में अपना बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत किया था। आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

परिषद ने श्री सुनील कुमार प्रसाद, प्रयोगशाला परिचारक को चार्जशीट जारी करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

35.3.15:श्री चन्दन तालुकदार का इस्तीफा

श्री चंदन तालुकदार, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उप कोषाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए संयुक्त कुलसचिव के पद पर लिएन धारणा करे रहे थे।कुलपतिद्वारा श्री चंदन तालुकदार द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र की स्वीकृति के साथ उन्हे दिनांक 7 जनवरी 2020 (अपराह्न) से विश्वविद्यालय की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया।

परिषद ने श्री चंदन तालुकदार, संयुक्त कुलसचिव के इस्तीफे को स्वीकार करने और उन्हें दिनांक 7 जनवरी 2020 (अपराह्न) से विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त करने के कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड- 4

विचार और अनुमोदन के लिए मुद्दे

ईसी 35.4.1: सीएएस के तहत अगले चरण में नियुक्ति के लिए चयन समिति/स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाही

परिषद ने सीएएस के तहत चरण-Iसे चरण-II तक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से मंजूरी दीहै:-

क्रं. सं.	नाम	विभाग	चरण-II में नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. सुदर्शन तामांग	रसायन	20.09.2018
2.	डॉ. एस. जीवनंदन	इतिहास	30.11.2019
3.	डॉ. निधिसक्सेना	विधि	28.01.2017
4.	डॉ. एन. बिजयालक्ष्मी देवी	वनस्पति	28.01.2019
5.	डॉ. अरुण छेत्री	वनस्पति	23.04.2018
6.	डॉ. सुदीपघटनी	प्राणी विज्ञान	26.11.2019

डॉ. बिस्वजीत गोपाल रॉय के संबंध में दिनांक6मार्च 2020को स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, डॉ. विश्वजीत गोपाल रॉय ने मौखिक रूप से समिति को उनके पोस्ट डॉक्टरेट के अनुभव को शामिल करनेऔर सहायक प्राध्यापक (शैक्षणिक स्तर 10) से सहायक प्राध्यापक (शैक्षणिक स्तर 11) के लिए सीएएस के तहत उनकी पदोन्नति के लिए पात्रता की तिथि की गणना करते समय उन्हें एक वर्ष का लाभ दिए जाने कानिवेदन किया। समिति ने इस मामले पर चर्चा की और सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य सत्यापित होने तक इस मामले को उनके द्वारा किए गए निवेदन को स्थगित रखने का निर्णय लिया।

ईसी35.4.2: शिक्षक की नियुक्ति

परिषद ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 2 जुलाई 2019 को 72 शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त हुए आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। फरवरी, 2020 के महीने से साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण सभी विभागों के साक्षात्कार को पूरा नहीं किया जा सका। शेष विभागों के लिए साक्षात्कार स्थिति सामान्य होने के बाद ली जाएगी।

परिषद द्वारा अनुमोदित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर विभागों में चयन के संबंध में प्रत्येक के सामने दिखाए गए पदों के लिए मंजूरी दी गई है:

क्रं. सं.	विभाग	पद	नाम

1	**मानवशास्त्र**	सह प्राध्यापक	नितीश मंडलचाइ *चयनित*
2	**भूटिया**	सहायक प्राध्यापक	येशेय नंगयाल भूटिया चयनित *नेयड्रप भूटिया* *प्रतीक्षसूची 1* *कुंजंग नंगयाल* *प्रतीक्षासूची 2*
3	**रसायन**	प्रोफेसर	संजय दाहाल चयनित
		सह प्राध्यापक (अनरक्षित)	कोर्ट के आदेश के कारण स्थगित किया गया
		सह प्राध्यापक (अनुसूचित जाति)	कोई उपयुक्त नहीं मिला
4	**भूगोल**	सह प्राध्यापक	कोई उपयुक्त नहीं मिला
		सहायक प्राध्यापक	राजेश कुमार चयनित सलीम जहागीर प्रतीक्षा सूची *1* अंकिता मेढ़ी प्रतीक्षा सूची *2*
5	**अंतरराष्ट्रीय संबंध**	सह प्राध्यापक	अभियार्थी ने अपनी उपास्थिति दर्ज नहीं कराई
		सहायक प्राध्यापक	दिव्य रानी चयनित निंगथौजम कोइरेम्बासिंह *प्रतीक्षा सूची 1* विनय प्रसाद प्रतीक्षा सूची 2
6	**लेप्चा**	सहायक प्राध्यापक	मिग्मा ओंगड्रुप लेप्चा चयनित रींचेन ओंगमू लेप्चा चयनित डिकिट ल्हामू लेप्चा *प्रतीक्षा सूची 1* *निमकीट लेप्चा प्रतीक्षा सूची 2*
7	**लिम्बू**	सहायक प्राध्यापक	एश बहादुर सुब्बा चयनित भीम बहादुर लिम्बू प्रतीक्षा सूची *1* बीरखा मन सुब्बा लिम्बू प्रतीक्षा सूची *2*
8	**गणित**	सह प्राध्यापक (अनारक्षित)	अमित चक्रबोर्ती चयनित प्रदीप कुमार पारीदा प्रतीक्षा सूची *1*
		सह प्राध्यापक (अनुसूचित जाति)	कुंवर सिंह माथुर चयनित
9	**मनोविज्ञान**	सहायक प्राध्यापक	सुमणिमा राई चयनित कुशल राई प्रतीक्षा सूची *1* सुनैना के प्रतीक्षा सूची *2*
10	**जीवविज्ञान**	प्रोफेसर	कोई उपयुक्त नहीं मिला
		सह प्राध्यापक	भोज कुमार आचार्या चयनित नम्रता थापा तामांग प्रतीक्षा सूची *1* अरुंधति बाग प्रतीक्षा सूची *2*

ईसी35.4.3: पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति

शॉर्टलिस्ट

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय नेदिनांक15 दिसंबर 2018 को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के विरुद्ध 18 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 13 उम्मीदवारों को किया गया था। तीन (3) उम्मीदवारों ने 11 फरवरी 2020 को साक्षात्कार में भाग लिया।

परिषद ने नोट किया कि चयन समिति ने पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पायागया। परिषद ने विश्वविद्यालय को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का पुनः विज्ञापन करने की सलाह दी।

ईसी35.4.4: उप पुस्तकालयध्यक्ष की नियुक्ति

परिषद ने नोट कि विश्वविद्यालय ने 15 दिसंबर 2018 को उपपुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के विरुद्ध 8 आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। दो (2) उम्मीदवारों ने दिनांक 10 फरवरी 2020 को साक्षात्कार में भाग लिया था।

परिषद ने नोट किया कि चयन समिति ने उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। परिषद ने विश्वविद्यालय को उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का पुनः विज्ञापन जारी करने की सलाह दी।

ईसी 35.4.5: पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुबंध अवधि का विस्तार

परिषद को सूचित किया गया कि दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित अपनी 27वीं बैठक में प्रो. ए.एस.चंदेल के अनुबंध आधारित पुस्तकालयाध्यक्ष कीनियुक्ति को नए पदाधिकारी के शामिल होने तक बढ़ाया गया है। हाल की भर्ती में कोई भी उम्मीदवार पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

कार्यकारी परिषद ने प्रो. ए.एस. चंदेल के अनुबंध नियुक्ति को मौजूदा शर्तों पर छह महीने की अवधि विस्तार को स्वीकृत प्रदान की।

ईसी 35.4.6: नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी(सामान्य और मुख्य दंड) और अपीलीय प्राधिकारीके रूप में शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन

परिषद को सूचित किया गया कि वर्तमान में सिक्किम विश्वविद्यालय में एमटीएस से लेकर प्रोफेसर स्तर तक के सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण कार्यकारिणी परिषद है। तदनुसार, सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, परिवीक्षाहटाना, स्थायीकरण और अनुशासनात्मक मामले जैसे सभी मामले कार्यकारिणी परिषद के पास आते हैं।पिछले 12 वर्षों में विश्वविद्यालय की गतिविधियों में वृद्धि के साथनियुक्ति, अनुशासनात्मक मामलों के लिए शक्तियों को प्रत्यायोजित करना और अपीलीय प्राधिकरण बनाना आवश्यक हो गया है।

परिषद को यह भी सूचित किया गया कि विगत वर्षों में शिक्षकों, सांविधिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशासनात्मक मामलों के लिए यूजीसी भर्ती एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों पदोन्नति नियम और सीसीएस (आचरण), नियम 1964, सीसीएस (सीसीए) 1965 नियम आदि के दिशानिर्देश का अपनाया गया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) के लिए नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अपील के लिए अधिकारियों को निम्नानुसार मंजूरी दी:-

क्रं. सं.	पदों का वर्गिकरण	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनात्मक प्राधिकारी		अपीलीय समिति
			शुक्ष्म दंड	मुख्य दंड	
1.	ग्रुप - ग (गैर-शैक्षणिक)	कुलसचिव	कुलसचिव	कुलसचिव	कुलपति
2.	ग्रुप - ख (गैर-शिक्षण)	कुलपति	कुलसचिव	कुलपति	शुक्ष्म दंड: कुलपति मुख्य दंड: कार्यकारणी परिषद
3.	ग्रुप - के (गैर-शिक्षण)	कार्यकारणी परिषद	कार्यकारणी परिषद	कार्यकारणी परिषद	अपील समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद
4.	ग्रुप - क (शिक्षण)	कार्यकारणी परिषद	कार्यकारणी परिषद	कार्यकारणी परिषद	अपील समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद

पदों का वर्गीकरण :

1. ग्रुप - ग (गैर-शिक्षण): वेतन स्तर 1 से 5 तक
2. ग्रुप - ख (गैर-शिक्षण): वेतन स्तर 6 से 9 तक
3. ग्रुप - क (गैर-शिक्षण): वेतन स्तर 10 और अधिक
4. ग्रुप - क (शिक्षण): शैक्षणिक वेतन स्तर 10 और अधिक

अपीलीय समिति:

- The Executive Council may appoint a Committee of Appeals to which all appeals against the orders of the Executive Council as Disciplinary Authority lie for recommendation.

- अपीलीय समिति में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अलावा तीन सदस्य होंगे और उन्हें कदाचार के ऐसे मामलों से निपटने में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

- कुलपति अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए कार्यकारिणी परिषद की ओर से अपील समिति का गठन कर सकते हैं,जो कि कार्यकारी परिषद द्वारा अनुसमर्थित के अधीनहै।

- अपील पर अंतिम निर्णय के लिए आगामी बैठक में कार्यकारी परिषद के समक्ष अपील समिति की सिफारिशों को रखा जाएगा।

- दंड के आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करने पर उपर्युक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत की गई किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

ईसी 35.4.7: ***डॉ. वी. कृष्ण अनंत, सह प्राध्यापक के सीएएस के तहत चरण IV से चरण V तक के मामले पर विचार***

परिषद को सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर डॉ वी कृष्ण अनंत के सीएएस के चरण IV से चरण V के मामले पर विचार करने के लिए चयन समिति का गठन किया गया था।कार्यकारी परिषद ने 18.02.2020 के परिपत्र के माध्यम से डॉ. अनंत के सीएएस के तहत सह प्राध्यापक से प्रोफेसर यानी चरण IV से चरण V में प्रोन्नति के लिए चयन समिति की सिफारिशें को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहीपूरी होने तक सीलबंद लिफाफे बंद में रखने की पुष्टि की।माननीय उच्च न्यायलाय के समक्ष डॉ. वी. कृष्ण अनंत द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के खिलाफ फ़ाइल रिट अपील 2018 के 02 (एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2018 के खिलाफ रिट अपील) के संदर्भ में कार्यकारिणी परिषद की फैसले को प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया है और इसे यह निम्नानुसार है:

" .... प्रासंगिक समय पर, रिट याचिका के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी और इसलिए, हमारी राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।"

इस बीच हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कर्मा थिनले नामग्याल से कानूनी सलाह भीली है और सलाह का सार इस प्रकार है:

"(i) आज के दिन तक, याचिकाकर्ता के याचिका परिणाम को सीलबंद लिफाफे में नहीं रखा जा सकता है और विश्वविद्यालय को एकल न्यायाधीश के दिनांक 06.03.2018 में निहित निर्देश के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। यदि याचिकाकर्ता सफल होता है, तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने से दोषमुक्त नहीं करता है।यदि जांच समाप्त होने के बाद आरोप साबित हो जाते हैं तो यह कार्यकारी परिषद को तय करना है कि नियमों के अनुसार उन पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करना."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और वरिष्ठ अधिवक्ता की कानूनी राय पर विचार करते हुए, परिषद ने डॉ. वी कृष्णा अनंत के संबंध सीएएस पदोन्नति के लिए चरण IV से चरण V में चयन समिति की सिफारिशों वाले सीलबंद लिफाफे को खोलने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी परिषद ने बिना किसी पूर्वाग्रह के चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसमें इतिहास विभाग के डॉ. वी कृष्ण अनंत को दिनांक 01.07.2016 से चरण IV से चरण V (प्रोफेसर) में पदोन्नति की सिफारिश की गई थी।

ईसी 35.4.8: सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति के लिए नामित

अधिनियम 31 (1) (i) सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों के लिए सलाहकार समिति और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक संस्थान को कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और शिक्षण कर्मचारी के तीन प्रतिनिधि के साथ महाविद्यालय या संस्थान के एक प्राचार्य सहित कार्यकरिणी परिषद द्वारा अनुमोदित 15 से कम सदस्यवाली नियमित रूप से गठित शासी निकाय को संदर्भित करता है।

परिषद ने नोट किया कि पहली सलाहकार समिति का गठन 2016में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था।सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक महाविद्यालय के लिए नई सलाहकार समितियां प्रस्तावित की गई हैं तथा विश्वविद्यालय के दो सदस्यों को भी अलग से प्रस्तावित किया गया है।

परिषद ने सलाहकार समिति के सदस्यों और सरकार द्वारा संचालितप्रत्येक महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्तियों को भी मंजूरी दी।

ईसी 35.4.9:वार्षिक रिपोर्ट2019-20

परिषद को सूचित किया गया कि वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 तैयार कर लिया गया है। जिसके लिए प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग की अध्यक्षता में एक संपादकीय समिति का गठन किया गया था।विश्वविद्यालय और उसके विभिन्न शैक्षणिक विभागों की वार्षिक समग्र उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 तैयार किया गया है और संपादकीय समिति के अध्यक्ष द्वारा परिषद को प्रस्तुत किया गया है।

परिषद ने विश्वविद्यालय की प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को मंजूरी दी।

ईसी 35.4.10: सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान करने हेतु

परिषद को सूचित किया गया कि दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी 32वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश को स्वीकृत करने के बाद अधिसूचित किया गया था। हालांकि, यह देखा गया है कि काफी संख्या में संकाय सदस्य अन्य विश्वविद्यालयों में चयनित हुए है और सिक्किम विश्वविद्यालय में स्थायी पद के लिए लिएन की मांग की। परिषद को सूचित किया गया कि लिएन की अवधि के दौरान पद नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकते है।इस प्रकार लिएनपर गए कर्मचारियों द्वारा सृजित रिक्तियां लंबे समय तक खाली रहती हैं।अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभागों में संकाय सदस्यों की संख्या इस स्तर तक कम हो गई कि विभाग चलाना काफी मुश्किल हो में कि गया। साथ ही प्राणी विज्ञान जैसे विभाग में, सह प्राध्यापक स्तर के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य नेअन्य

विश्वविद्यालय में उनके चयन के बाद लिएन पर जाना चाहते है, जिस कारणविभाग को एक कनिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा प्रभारी के रूप में चलाया जा रहा है।

परिषद को आगे बताया गया कि वर्तमान में संकाय के 229 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 150 संकाय 32 शैक्षणिक विभागों को चलाने की स्थिति में हैं। इसी तरह, गैर-शिक्षण कर्मचारियों मेंस्वीकृत संख्या लगभग 134 है जो कि शिक्षण और गैर-शिक्षण के यूजीसी अनुपात 1:1.1 के स्वीकृत मानदंडों से कम है।

परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद दिनांक 6 मार्च 2019 को आयोजित अपनी 32 वीं बैठक में परिषद द्वारा अनुमोदित और 6 मार्च 2019 को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित लिएन के लिए दिशा-निर्देशों के संचालन को कुछ समय के लिए स्थगित रखने और एक साल के बाद स्थिति की समीक्षा करने का निर्णय लिया। तब तक विश्वविद्यालय केवल तीन महीने की अवधि के लिए लिएन प्रदान कर सकता है।

<u>टेबल वस्तु</u>

ईसी35.4.11: श्री प्रणब कुमार सरकार, परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (निलंबित)

परिषद ने नोट किया कि श्री प्रणब कुमार सरकार को चयन समिति की सिफारिशों और कार्यकारी परिषद के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होनें दिनांक 20 अगस्त 2019 को सिक्किम विश्वविद्यालय को जॉइन किया था।परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय को बाद में पता चला कि श्री प्रणब कुमार सरकार ने दिनांक 5 जून 2019 को परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए साक्षात्कार के समय भट्टादेव विश्वविद्यालय का फर्जी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जमा किया और सिक्किम विश्वविद्यालय में जॉइन करने समय भट्टदेव विश्वविद्यालय का फर्जी कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत किया था। परिषद ने यह भी नोट किया कि श्री प्रणब कुमार सरकार ने अपने आवेदन पत्र के साथ-साथ सत्यापन प्रपत्र में दिनांक 29 जून 2016 से 19 दिसंबर 2018 तक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी (एनएलयूजेए) असम में उप कुलसचिवके रूप कार्य करने की गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। उन्होंने दिनांक 9 मार्च 2019 से 3 दिसंबर 2012 तक नागालैंड विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के संबंध में भी झूठी जानकारी प्रस्तुत की और नागालैंड विश्वविद्यालय में सेवा छोड़ने का कारण 'बच्चें की शिक्षा' को बताया था, जबकि उन्हें नागालैंड विश्वविद्यालय में दिनांक 21 अगस्त 2012 को बर्खास्त किया जा चुका था।

परिषद ने यह भी नोट किया कि श्री प्रणब कुमार सरकार के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी (एनएलयूजेए) असम में उप कुलसचिव के रूप में काम करने के दौरानउनके विरुद्ध विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न का मामला लंबित थाऔर एनएलयूजेए द्वारा यह बताया गया कि उन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एनआईडी और एनआईटी, अरुणाचल प्रदेश में 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' और 'सतर्कता प्रमाणपत्र' जमा करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर और विश्वविद्यालय की जाली मुहर का इस्तेमाल किया गया। जिसके लिए एनएलयूजेएने उसके खिलाफ उत्तर गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में तीन प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

परिषद ने यह भी नोट किया कि कुलपति ने श्री प्रणब कुमार सरकार से दिनांक 23 जून 2020 के ज्ञापन के माध्यम से उनके फर्जी दस्तावेज और झूठी जानकारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगाथा।

श्री सरकार ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बजाय स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों से इस्तीफा देने औरदिनांक 24 जून 2020 को सुबह 5:00 बजे अपने गृह नगर गुवाहाटी के लिए प्रस्थान कि सूचना के साथ दिनांक 23 जून 2020 को त्याग पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि दिनांक 24 जून 2020 को कुलपति के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। कुलपति द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और इसकी सूचना उनके गुवाहाटी के घर के पते और ई-मेल द्वारा coe@cus.ac.in;p.ksarkar@rediffmail.comपर सूचित किया गया। श्री सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 10 के अंतर्गत दिनांक 26 जून 2020 के कार्यालय आदेश के द्वारा निलंबन में रखा गया था।

परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 9 जुलाई 2020 को श्री प्रणब कुमार सरकार के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई।विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 14 केअंतर्गतनिम्नलिखित आरोपों के लिए उनके खिलाफ दिनांक 29 जुलाई 2020 को चार्जशीट जारी किया गया था।

i) साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र में झूठी जानकारी प्रस्तुत करने,भट्टादेव विश्वविद्यालय का फर्जीएवंजाली'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जमा करने और सिक्किम विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय भट्टादेव विश्वविद्यालय का फर्जी निर्मोचन आदेश एवं वेतन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करनेके लिए;

ii) दिनांक 20 अगस्त 2019 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय को जमा किए गए सत्यापन फॉर्म में गलत और अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए;

iii) मुख्यालय के बिना अनुमति के त्याग पत्र (जिसे स्वीकार नहीं किया गया) प्रस्तुत करने और कार्यालय का प्रभार सौंपे बिना छोड़ने के लिए;

परिषद ने नोट किया कि श्री प्रणब कुमार सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट का कोई जवाब नहीं दियाथा। उन्हें दिनांक 10 अगस्त 2020 कोफिर से ज्ञापन के माध्यम से आरोपों के बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, जिसमें यह भी कहा गया था कि यदि वह आरोपों के प्रति अपना बचाव प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और इस स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कार्यकारिणी परिषद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री प्रणब कुमार सरकार को विश्वविद्यालय और किसी अन्य संगठन में बनाए रखना हानिकारक होगा। इसलिए, सिक्किम विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्तगी के जुर्माना के साथ तत्काल प्रभाव से सरकार के स्वायत्त/सांविधिक निकायों सहित सरकार (राज्य या केंद्र) के अंतर्गत भविष्य में किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।

खंड -5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ईसी 35.5.1:दिनांक 28 फरवरी 2020 को आयोजित वित्त समिति के 25वीं बैठक के कार्यवृत

परिषद ने दिनांक 28 फरवरी को आयोजित वित्त समिति के 25वीं बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी। इसके साथ ही कुलपति द्वारा वित्त समिति की निम्नलिखित सिफारिशें को मंजूरी देने की कार्रवाई की भी पुष्टि की गई।

i) साल 2018-19 के लिए वार्षिक लेखा और अलग लेखा रिपोर्ट (एसएआर) को दिनांक 28.02.2020 को एमएचआरडी को प्रस्तुत किया गया।
ii) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय का विस्तृत बजट
iii) पूर्व में स्वीकृत राशि ₹978.63 करोड़ के विरुद्ध ₹986.47 करोड़ का संशोधित ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन
iv) एमएचआरडी को ईडब्ल्यूएस योजना के अंतर्गत यांगयांग में दो छात्रावासों (एक पुरुष और एक महिला) के निर्माण के लिए ₹21.70 करोड़ का डीपीआर प्रस्तुत किया गया।

ईसी 35.5.2:दिनांक 28 अगस्त 2020 को आयोजित 27वीं शैक्षिणक परिषद के कार्यवृत

परिषद ने निम्नलिखित विषयों को अनुमोदन प्रदान किया

i) एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रम के संचालन के लिए संशोधित अधिनियम
ii) भूटिया, लेपचा और लिम्बू में पीएचडी कार्यक्रम के संचालन के लिए दिशा-निर्देश
iii) स्थायी संबद्ध महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के निरीक्षण के लिए प्रारूप -XII
iv) शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिएनिरीक्षणदल (दलों) कीटिप्पणियोंकेअनुपालनकेअधीन चारमहाविद्यालयों1) नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान, सिक्किम 2) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुरतुक 3) सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, सोचकगांग 4) डांबर सिंह महाविद्यालय, तादोंगको स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।

ईसी 35.5.3:दिनांक 08 सितम्बर 2020 को आयोजित वित्त समिति की 26 वीं बैठक के कार्यवृत

परिषद ने दिनांक 8 सितंबर 2020 को आयोजित वित्त समिति की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त और वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वार्षिक लेखा 2019-20 को मंजूरी दी।

खंड - 6

अध्यक्ष के ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(टी.के.कौल)
कुलसचिव और सचिव
कार्यकारणी परिषद

(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति और अध्यक्ष
कार्यकारणी परिषद